प्रेस नोट,
दिनांक 27.12.2024

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा उतरौला रोड पर आईटीआई तिराहे के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र संगम लाल तिवारी निवासी भवानीपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-630/24, धारा 317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का अभियगो पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.12.2024 को थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा उतरौला रोड़ पर आईटीआई मोड़ के पास रात्रि गस्त/वाहन चेकिंग कि जा रही थी कि एक संदिग्ध मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र संगम लाल तिवारी निवासी भवानीपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0सं0-630/24, धारा 317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का अभियगो पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि करीब डेढ़ माह पहले गोण्डा कचहरी के बाहर रोड़ से यह मोटरसाइकिल चोरी करके लाया था । पकड़े जाने की डर से नंबर प्लेट हटाकर दूसरा कूटरचित नम्बर प्लेट लगा दिया था तथा कोई ग्राहक मिलने पर अच्छे दाम पर बेच देता।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल तिवारी पुत्र संगम लाल तिवारी निवासी ग्राम भवानीपुर थाना धानेपुर जनपद गोंडा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-857/24, धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-630/24, धारा 317(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद चोरी मोटरसाईकिल(कूटरचित नम्बर प्लेट) ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. उ0नि0 योगेश यादव
03. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार
04. का0 रवि कुमार

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 183/2022 धारा 3(1)यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 721/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 722/2021 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
4. मु0अ0सं0 723/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
5. मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
6. मु0अ0सं0 582/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
7. मु0अ0सं0 599/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
8. मु0अ0सं0 600/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
9. मु0अ0सं0 418/2023 धारा 379 भा0द0वि0 थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
10. मु0अ0सं0 601/2023 धारा 411/419/420/413/467/468/471 भा0द0वि0 थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.12.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोण्डा। आज दिनांक 27.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में चल रहे अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण(डीवी/पीएसटी) स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों के प्रवेश द्वार, बायोमैट्रिक स्थल व डीवी/पीएसटी स्थल पर लगाए गए सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थिति को चेक कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था (परीक्षण संचालन/सुरक्षा) के अधिकारियों को डीवी/पीएसटी की जो नियम एवं शर्ते है, उनके अनुरूप ही सभी अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किए जाने तथा किसी भी प्रकार की कोई अनियमिता न होने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को उनके कर्तब्यों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा अभ्यार्थियों से वार्ता कर उनकी सकुशलता जानी गयी तथा उनके साथ किसी भी प्रकार की अनियमिता होने की स्थिति में तुरंत उनके समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु बताया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 535 अर्ह अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा जनपद गोण्डा में होना है। जिसमें आज दिनांक 26.12.2024 को 50 अभ्यार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही प्रातः 9ः15 से प्रारम्भ होकर कार्य समाप्त होने तक संपादित की जाएगी। डीवी/पीएसटी स्थल की लगातार सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी की जा रही है। भर्ती की सुचिता बनाए रखने के लिए गोपनीय और ओपनली दोनो प्रकार की टीमें अपना काम कर रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 27.12.2024

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत रोजवुड इंटर कालेज के छात्र/छात्राओ व कालेज के स्टाप को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक-

आज दिनांक 27.12.2024 को द्वारा रोजवुड इंटर कालेज जानकी नगर, गोण्डा के छात्र/छात्राओ व शिक्षकगण के साथ वर्कशाप का आयोजन किया गया। जनपदीय साइबर सेल की टीम द्वारा कालेज के छात्र/छात्राओ को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। आ ॅनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा शिक्षकगण को NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 27.12.2024, थाना धानेपुर

जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना धानेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-175/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 01. बिन्देश्वरी शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम भग्गनपुरवा मौजा उज्जैनीकला, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा को याकूबगंज बाजार सांवलपुर रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना धानेपुर को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी करके कीमती जमीन फर्जी तरीके से बैनाम करा लिया है। तहरीर के आधार थाना धानेपुर पर मु0अ0सं0-175/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 27.12.2024 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त बिन्देश्वरी शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम भग्गनपुरवा मौजा उज्जैनीकला, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा को याकूबगंज बाजार सांवलपुर रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बिन्देश्वरी शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम भग्गनपुरवा मौजा उज्जैनीकला, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-175/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 परशुराम सिंह
02. का0 शाकिर अली

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 27.12.2024, थाना को0देहात
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात, थाना धानेपुर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में हुई पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोली लगने से घायल/गिरफ्तार , कब्जे से लूट/चोरी के सोने चांदी के आभूषण ,12000/- रू0 नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल , 01 अदद तमँचा मय 02 जिंदा, 02 खोखा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0देहात, थाना धानेपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 01. मु0अ0सं0-518/24, धारा 309(4), 305 बीएनएस थाना को0 देहात, 02. मु0अ0स0 547/24 धारा 305 बीएनएस, 03. मु0अ0स0 330/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस थाना धानेपुर से सम्बन्धित घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त शातिर बदमाश 01. पुजारी पुत्र डाकिया निवासी दत्तनगर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा को खोरहंसा से पाण्डेयपुर तिराहा उज्जैनी जमाल के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट/चोरी के आभूषण (पीली/सफेद धातु), 12000/- रू0नगद , 01 अदद तमँचा मय 02 अदद जिंदा व 02 अदद खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल(स्पलेण्डर) बरामद किया गया ।

पूछताछ का विवरणः-
अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो एक साथ सिलबट्टा ठीक करने के बहाने दिन में घरों की रैकी किया करते है तथा दिन में घर को चिन्हित कर रात में चोरी/लूट की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं। अभियुक्त द्वारा बताया गया की दिनाकं 7.12.2024 की रात्रि में थाना को0देहात के गाँव खोरहंसा अंसारी मोहल्ला के एक घर में घुस कर सोने चांदी के जेवरात चोरी किये थे। तथा कल की रात्रि को थाना को0देहात के सहियापुर गाँव में एक घर में घुसकर सोने चाँदी के जेवरात व नगदी चोरी किया गया था। कुछ दिन पूर्व को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेलहरी मे एक घर में घुस कर चोरी की घटना को अंजाम दिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. पुजारी पुत्र डाकिया निवासी दत्तनगर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-
01. मु0अ0सं0-518/24, धारा 309(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 547/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 330/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 548/24, धारा 109 बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. 900 ग्राम आभूषण(सफेद धातु),
02. 01 अदद माँग टीका(पीली धातु),
03. 01 जोड़ी कान का टप्स(पीली धातु)
05. 12,000/- रूपये नगद,

06. 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस
07. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल(स्पलेण्डर)

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह मय टीम थाना को0 देहात गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 श्री संजय कुमार गुप्ता मय टीम जनपद गोण्डा ।
03. थानाध्यक्ष श्री सुनील सिंह मय टीम थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।